न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/119/2019	2019/00261	10.10.2019	25.10.2021

1. चिरंजी लाल पुत्र दयालाराम जाति जाट आयु करीब 58 साल, निवासी माजरा काठ तहसील नीमराना व जिला अलवर हाल निवासी बनिहाडी तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।

–अपीलान्ट

बनाम

1. जगदीश पुत्र दयालाराम जाति जाट, निवासी माजरा काठ तहसील नीमराना, जिला अलवर हाल निवासी कनक विहार वार्ड नंबर 2 मौहल्ला बासड़ी कस्बा कोटपुतली जिला जयपुर।

–असल रेस्पाडेन्ट

2. स्नेहलता पुत्री दयालाराम पत्नि बच्चू सिंह जाति जाट, निवासी माजरी भाण्डा पोस्ट राजवाड़ा तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
3. राजबाला पुत्री दयालाराम पत्नि रानीसिंह जाति जाट, निवासी माजरी भाण्डा पोस्ट राजवाड़ा तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
4. सुधा कवंर दयालाराम पत्नि सुबे सिंह जाति जाट, निवासी माजरी काठ तहसील नीमराना, जिला अलवर।
5. अनीता पुत्री सुबेसिंह पत्नि श्री राजवीर सिंह जाति जाट, निवासी माजरी काठ तहसील नीमराना, जिला अलवर हाल काली पहाड़ी तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
6. सुनीता पुत्री सुबेसिंह पत्नि श्री भाल सिंह जाति जाट, निवासी माजरी काठ तहसील नीमराना, जिला अलवर हाल काली पहाड़ी तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
7. सरिता पुत्री सुबे सिंह पत्नि श्री विकास कुमार, निवासी माजरी काठ तहसील नीमराना, जिला अलवर हाल चकोलिया की ढाणी, मातौर, तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
8. रूडमल पुत्र सुबेसिंह जाति जाट, निवासी माजरी काठ तहसील नीमराना, जिला अलवर।
9. सुरजीत पुत्र दयालाराम जाति जाट, निवासी माजरी काठ तहसील नीमराना, जिला अलवर हाल ए–22 परिवहन नगर खातीपुरा जिला जयपुर राज0।
10. राजेश दयालाराम जाति जाट, निवासी माजरी काठ तहसील नीमराना, जिला अलवर हाल ए–4 शेखावत कालोनी सिरसी रोड जयपुर, जिला जयपुर राज0।
11. कृष्णा पुत्री दयालाराम जाति जाट, पत्नि महेन्द्र निवासी माजरी काठ तहसील नीमराना, जिला अलवर हाल निवासी माजरी भाण्डा तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
12. सुलोचना पुत्री दयालाराम जाति जाट, पत्नि राजेन्द्र, निवासी माजरी काठ तहसील नीमराना, जिला अलवर हाल निवासी माजरी भाण्डा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
13. पवन कुमार पुत्र चिंरजीलाल जाति जाट निवासी माजरा काठ तहसील नीमराना जिला अलवर हाल निवासी बनिहाडी तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा।

–तरतीबी रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार नीमराना का निर्णय दिनांक 24.07.2018 आराजी खसरा नं0 133 रकबा 0.38 है0 हिस्सा 1/6 वाके ग्राम माजरा काठ तहसीलदार नीमराना जिला अलवर राज0

उपस्थितः–

01. श्री भूपेन्द सिंह शेखावत **–वकील अपीलान्ट**
02. श्री मनीष खन्ना **–वकील रेस्पॉडेन्ट**

जिला कलक्टर, अलवर

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार नीमराना के आदेश दिनांक 24.07.2018 जिसके द्वारा आराजी खसरा नं0 133 रकबा 0.38 है0 हिस्सा 1/6 वाके ग्राम माजरा काठ का राजस्व रिकॉर्ड में जगदीश पुत्र दयालाराम जाति जाट निवासी माजरा काठ तहसील नीमराना जिला अलवर के नाम विधि विरूद्व अमल दरामद करने के आदेश पारित कर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहत अदालत तहसीलदार नीमराना मं जगदीश पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी माजरा काठ तहसील नीमराना के हक में सुरजी देवी पत्नी श्री दयालाराम जाति जाट निवासी माजरा काठ तहसील नीमराना द्वारा की गई वसीयत के आधार पर स्वयं की अर्जित आराजी का इंतकाल दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में प्रार्थी को अपने पक्ष में साक्ष्य पेश करने का मौका दिया गया। प्रार्थी ने अपने पक्ष में गवाह दलीपसिंह पुत्र श्री ओकारमल जाति गूर्जर निवासी वार्ड नंबर 4 कोटपुतली जिला जयपुर व दुलीचंद पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी वार्ड नंबर 2 कोटपुतली जिला जयपुर ने उपस्थित होकर अपना शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि सूरजी देवी पत्नी दयाला राम जाति जाट निवासी माजरा काठ तहसील नीमराना ने अपने सगे पुत्र जगदीश पुत्र दयालाराम जाति जाट निवासी माजरा काठ की सेवा टहल से खुश होकर दिनांक 09.05.2016 को अपनी स्वयं अर्जित सम्पति ग्राम माजरा काठ के खसरा नं0 133 रकबा 0.38 है0 के हिस्सा 1/6 का वसीयतनामा लिखाया था वसीयतनामा लक्ष्मीकान्त शर्मा नोटेरी पब्लिक 3638 कोटपुतली से तस्दीक कराया था कि उस वसीयतनामा पर हमने गवाह के हस्ताक्षर किये थे रजिस्टार जन्म मृत्यु पंजीयन कोटपुतली ने मृत्यु प्रमाण पत्र कमांक 08110005000000200140 दिनांक 18.07.2017 के अनुसार सुरजी देवी पत्नी दयालाराम जाति जाट निवी माजरा काठ तहसील नीमराना का पेश किया सूरजीदेवी पत्नी दयालाराम की वसीयत बाबत उज्रदारी नोटिस जरिये दैनिक भास्कर अलवर पृष्ठ दिनांक 31.03.2017 को प्रकाश किया गया कोई उज्र पेश नही हुआ है। आलौच्य निर्णय दिनांक 24.07.2018 का है जिसकी जानकारी मिन अपीलांट को पूर्व में नही थी उक्त निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम अपीलांट को 31.10.2018 को हुई जिस पर 31.10.2018 को ही अपीलांट ने उक्त निर्णय की नकल लेने हेतु आवेदन किया जो नकल अपीलांट को 02.11.2018 को प्राप्त हुई। अपील तैयार करा कर बिना देरी जानकारी से अंदर अवधी पेश की जा रही है। अवधी कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम अलहेदा से पेश है। आराजी खसरा नं0 133 रकबा 0.38 रकबा है0 हिस्सा 1/6 अपीलांट व असल रेस्पा0 व तरतीबी रेस्पा0 के पूर्वज मामचंद की खातेदारी की आराजी है जिन मामचंद के तीन पुत्र दयालाराम, रामेश्वर व सुबे सिंह हुये दयालाराम ने दो विवाह किये दो विवाह किये थे जिनके प्रथम पत्नी सुरजी देवी व द्वितीय सदा कौर थी सूरजदेवी के दो पुत्र चिरंजीलाल व जगदीश व दो पुत्री स्नेहलता व राजबाला है तथा दूसरी पत्नी के दो पुत्र सुरजीत व राजेश व दो पुत्री कृष्णा व सुलोचना है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी खसरा नं0 133 दादालाई आराजी है। तथा दयालाराम का उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा था जिसने अपने 1/3 हिस्से में से 1/6 हिस्सा सूरजी देवी व 1/6 हिस्सा सदा कौर को जरिये रिजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 12.07.2006 दे दिया। जबकी यह जमीन दयालाराम के पिता मामचंद से विरासत में प्राप्त हुई थी तथा मामचंद की मृत्यु के बाद विरासत में मामचंद के पुत्र दयालाराम, रामेश्वर व सुबे सिंह को 1/3, 1/3 हिस्से अनुसार प्राप्त हुई है इस प्रकार यह आराजी दादालाई आराजी है तथा अबट है जिसमें मिन अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान का हक व हिस्सा निहित है। जो वर्तमान में बटी हुई नही है ओर खाता शामिल में चला आ रहा है।

असल रेस्पा0 जगदीश ने मिन अपीलांट व तरतीबी रेस्पा0 के बाला बाला सूरजी देवी माता से अपने हक में वसीयत दिनांक 09.05.2016 को नोटेरी से तस्दीक करा ली। जबकि वसीयतकर्मा सूरजी देवी 85 साल की वृद्व बिना पढ़ी लिखी औरत थी ओर उसे दिखना व

जिला कलक्टर, अलवर

सुनना भी बंद हो गया था जिसका नाजायज फायदा उठा कर निशानी अगूंठा लगवा कर वसीयत फर्जी तरीके से अपने स्वंय के गवाह बना कर करा ली। जबकि आराजी सूरजी देवी की स्वअर्जित आराजी नही थी बल्कि विरासत से प्राप्त दादालाई आराजी थी।

अदालत ए.सी.एम. बहरोड़ के यहां से मुकदमा राजेश कुमार बनाम सदा कोर जिसमें आराजी खसरा नं0 133 पर दिनांक 21.05.2013 से स्थगन चला आ रहा था उसके अलावा ए.सी.एम. बहरोड़ के यहां से मुकदमा अनिता बनाम सुबे सिंह में भी खसरा नं0 133 पर स्थगन चला आ रहा था। साथ ही न्यायालय ए.सी.एम सहाब बहरोड़ के यहा राजेश बनाम सदा कोर में अन्य खसरा नम्बरान मं 05.04.2013 से स्थगन चला आ रहा है जो आज वर्तमान तक प्रभावी है। बावजूद स्थगन आदेश तहसीलदार द्वारा निर्णय विधि विरूद्व पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। जगदीश असल रेस्पा0 ने अपनी माता सूरजी देवी से गिफ्ट डीड भी दिनांक 20.05.2016 को वसीयत कराने के उपंरात गलत तरीके से उप पंजियक नीमराना के यहां सूरजी देवी के हिस्से की सभी खसरा नंबरान 145 रकबा 0.56, 147 रकबा 0.44, 162 रकबा 0.52, 163/789 रकबा 0.11 है0 रकबा 228 रकबा 0.19, 728 रकबा 0.26 वाके ग्राम माजरा काठ तहसील नीमराना के 1/6 हिस्सा की गिफ्ट डीड करा ली जबकि सूरजी देवी की स्वअर्जित आय से खरीद की गई आराजी नही थी। ओर विरासत से प्राप्त दादालाई आराजी थी। तथा गिफ्टडीड निष्पादन के समय भी आदाल ए.सी.एम बहरोड़ के यहां से आराजीयात पर स्थगन था। जो वर्तमान में भी प्रभावी हैं उसके बावजूद पटवारी हल्का से मिली भगत कर दिनांक 28.05.2016 को इंतकाल संख्या 311 असल रेस्पा0 अपने नाम करा लिया जबकि स्थगन आदेश प्रभावी था उसके बावजूद गलत तरीके से इंतकाल दर्ज किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में स्थगन का नोट भी लगा रखा था।

उक्त विवादित आराजी में मिन अपीलट चिरंजीलाल व असल रेस्पा0 जगदीश व तरतीबी रेस्पा0 स्नेहलता व राजबाला का बराबर बराबर हिस्सा है यानि 1/4, 1/4 के हिस्सेदार है ओर तहसीलदार महादेय को वारिसान के बारे में पटवारी हल्का द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि सूरजी देवी के दो लडके चिरंजीलाल जगदीश है व दो पुत्री राजबाला व स्नेहलता है ओर यह भी अवगत कराया है कि ए.सी.एम. बहरोड़ द्वारा वर्तमान में स्थगन है। उसके बावजूद भी गलत व विधि विरूद्व तरीके तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमराना का आदेश दिनांक 24.07.2018 अपास्त फरमाया जावें।

विद्वान वकील रेस्पॉडेन्ट ने लिखित बहस में निवेदन किया की निर्णय दिनांक 24.07.2018 तहसीलदार नीमराना द्वारा सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया है। अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी शुरू से ही थी। रेस्पॉडेन्ट नं0 1 को परेशान करने की नियत से झूठी अपील पेश की गई है। रेस्पॉडेन्ट नं0 1 के नाम वसीयत पत्र विधिवत रूप से सूरजी देवी द्वारा स्वंय की खरीदी हुई आराजी का किया है। जिसमें अपीलान्ट का कोई सरोकार नही है। प्रकरण में विवादित आराजी स्व0 सूरजी देवी की खरीद शुदा आराजी है। रेस्पॉडेन्ट नं0 1 माता सूरजी देवी की देखभाल तथा सेवा करता था। जिससे प्रसन्न होकर वसीयत दिनांक 09.05.2016 को रेस्पॉडेन्ट नं0 1 के नाम की गई। स्व0 सूरजी देवी ने पंजीकृत दानपत्र भी स्वयं की खरीद शुदा आराजी का किया गया। उसके हिस्से पर कोई स्थगन आदेश नही था। जिसका इन्तकाल नम्बर 311 विधिवत रूप से दर्ज किया गया। स्व0 सूरजी देवी ने अपनी खरीद शुदा आराजी की वसीयत बिना किसी स्थगन आदेश के की गई थी। अपीलान्ट द्वारा यह झूठी अपील पेश करने के बाद न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश नं0 2 बहरोड़ में इसी आराजी बाबत दिवानी वाद संख्या 08/2019 चिरंजी बनाम जगदीश दिनांक 18.3.2019 को पेश किया गया था जिसमें दिनांक 14.07.2019 को उभयपक्षो को यथास्थिति बनाये रखने हेतु अंतरिम आदेश पारित किया गया। अतः अपील अपीलान्ट मियाद बाहर व कानून के खिलाफ होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकुलाय पर मनन किया। तहसीलदार नीमराना का आदेश दिनांक 24.07.2018 द्वारा जो आराजी खसरा नं0 133 रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम माजरा काठ तहसील नीमराना से वसीयत जगदीश पुत्र दयालाराम के नाम से अमल दरामद करने के आदेश दिये गये है जबकि उक्त आराजी खसरा नं0 133 रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम माजरा काठ तहसील नीमराना में सहायक कलक्टर बहरोड़ द्वारा दिनांक

जिला कलक्टर, अलवर

20.05.2013 को ही स्थगन जारी किया गया था। स्थगन होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.07.2018 पारित किया गया है, जो खारिज योग्य है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार नीमराना को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि गुणावगुण के आधार पर नियमों के आलोक में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर, अलवर